राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ

एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 733/2021

1. धर्म सिंह मीना पुत्र श्री चौथमल मीना, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम किशनपुरा पोस्ट गढ़, तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।
2. विकास कुमार पुत्र हरि सिंह साहू, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट उजाल, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य-लोक अभियोजक के माध्यम से।
2. थाना प्रभारी, थाना सदर, (दक्षिण), जयपुर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

<u>से संबद्ध</u>

एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1655/2021

1. बाबूलाल पुत्र श्री झाबर मल, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम गीदावाला, पोस्ट सिमरिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)।
2. शीशराम पुत्र श्री ख्यालीराम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम हीरावल, तन घाटा गुवार, पोस्ट चीपलाटा, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।
3. मुनिराज मीना पुत्र श्री रामदयाल मीना, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम बांस लक्ष्मीपुरा, पोस्ट खेरला, खुर्द, तहसील लालसोट, जिला दौसा।
4. मनीष कुमार बैरवा पुत्र नानाराम बैरवा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम मरायणपुरा, पोस्ट पीचूपाड़ा कलां, तहसील बसवा, जिला दौसा (राजस्थान)।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य-लोक अभियोजक के माध्यम से
2. एसएचओ, थाना सदर, जयपुर दक्षिण (राजस्थान)

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से	:	श्री मदन मोहन कश्यप
		श्री बसंत सिंह राठौड़
प्रत्यर्थी(गण) की ओर से	:	श्री चन्द्रगुप्त चोपड़ा, पी.पी

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

आदेश

11/01/2023

रिपोर्टेबल

1. उनका आदेश इन दोनों याचिकाओं के निपटान को नियंत्रित करेगा क्योंकि यह प्रस्तुत किया गया है कि दोनों याचिकाओं में समान तथ्य स्थिति में सामान्य मुद्दा और प्रार्थना शामिल है।

2. ये दोनों याचिकाएँ याचिकाकर्तागण द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई हैं:

> "इसलिए आदरपूर्वक प्रार्थना है कि एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका को कृपया स्वीकार किया जाए और अनुमति दी जाए और आईपीसी की धारा 419 के तहत पीएस सदर, जयपुर दक्षिण में दर्ज एफ.आई.आर. क्रमांक 476/14 दिनांक 5.12.2014 को कृपया खारिज करने और आरोपी/याचिकाकर्तागण की सीमा तक अलग रखने का आदेश दिया जाए और कोई अन्य आदेश/आदेशों पारित करें जो माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और न्याय के हित में उचित और उपयुक्त समझे।"

3. प्रारंभ में यह देखा गया कि उसी प्रार्थना के संबंध में, याचिकाकर्तागण ने इसी प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित एफ.आई.आर. संख्या 476/2014 को रद्द करने के लिए एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 1438/2017 दायर किया की है जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "इसलिए यह प्रार्थना है कि अपराधी विविध हो। याचिका को कृपया स्वीकार किया जाए और अनुमति दी जाए और आईपीसी की धारा 419 के तहत पुलिस स्टेशन सदर, जयपुर साउथ में दर्ज आक्षेपित एफ.आई.आर. संख्या 476/2014 दिनांक 5/12/2014 को आरोपी-याचिकाकर्तागण की सीमा तक इसे रद्द करने और अपास्त करने का आदेश पारित किया जाए।

कोई अन्य आदेश या राहत जो माननीय न्यायालय उचित समझे, वह भी याचिकाकर्तागण के पक्ष में पारित की जाए।"

4. उपरोक्त याचिका को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2017 के आदेश के तहत इस प्रकार देखते हुए खारिज कर दिया गया था:

> "अभियोजन पक्ष के अनुसार, कांस्टेबलों के पदों का विज्ञापन किया गया था। याचिकाकर्तागण ने कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था. हालाँकि, याचिकाकर्तागण की ओर से कुछ अन्य व्यक्ति लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए। मामले की अभी जांच चल रही है.
>
> याचिकाकर्तागण के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक कार्यवाही को शुरुआत में ही रोकने का कोई आधार नहीं बनता है।
>
> खारिज कर दिया गया।"

5. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता का कहना है कि समान परिस्थितियों में याचिकाकर्तागण के खिलाफ दिल्ली में दो एफ.आई.आर. दर्ज की गईं अर्थात धारा 419, 468 और 471 के तहत अपराध के लिए दिल्ली के सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. संख्या आई.पी.सी. 969/2014 और 539/2014 दर्ज की गईं। अधिवक्ता का कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपराधिक विविध केस संख्या 1218/2015 का निर्णय करते हुए अपने आदेश दिनांक 02.03.2017 के तहत पुलिस स्टेशन सराय रोहिल्ला, दिल्ली में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 969/2019 को अपास्त कर दिया है। अधिवक्ता का कहना है कि यह तथ्य याचिकाकर्तागण की जानकारी में नहीं था। इसलिए, इसे पहले के निपटान के समय इस न्यायालय के एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 1438/2017 के ध्यान में नहीं लाया जा सका। अधिवक्ता ने आगे कहा कि बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.08.2018 के आदेश के तहत पुलिस स्टेशन सराय रोहिल्ला, दिल्ली में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 539/2014 को अपास्त कर दिया। अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्तागण ने एफ.आई.आर. संख्या 476/2014 को अपास्त करने के लिए लगातार याचिका दायर करके इस न्यायालय से दोबारा संपर्क किया है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बदली हुई परिस्थितियों में, सी.आर.पी.सी. की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां का प्रयोग किया जाए और आक्षेपित एफ.आई.आर. को भी अपास्त कर दिया जाए।

6. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा

उठाए गए तर्कों का विरोध किया।

7. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान लोक अभियोजक को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

8. मामले के गुणागुण पर जाए बिना, इस न्यायालय का मानना है कि सी.आर.पी.सी. की धारा 362 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, यह न्यायालय का निर्णय करते समय इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 08.08.2017 के आदेश को बदल नहीं सकता है। एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 1438/2017 त्वरित संदर्भ के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 362 के तहत निहित प्रावधान यहां निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

> "362. **न्यायालय निर्णय के बाद नहीं।** इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, कोई भी न्यायालय, जब किसी मामले के निपटान के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर चुका हो, लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को सुधारने के अलावा उसमें परिवर्तन या समीक्षा नहीं करेगा।"

9. उपरोक्त प्रावधान का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह न्यायालय मामले के निपटान के बाद अपने निर्णय या अंतिम आदेश को नहीं बदल सकता है। यदि कोई लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि हो तो यह न्यायालय उसमें परिवर्तन या समीक्षा कर सकता है। तात्कालिक मामले में कोई लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि नहीं है।

10. सी.आर.पी.सी. की धारा 482 का सरल पठन यह दर्शाता है कि सीआर.पी.सी. में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे इसे उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाला माना जाएगा। हालाँकि, यह प्रतिबंध सी.आर.पी.सी. की धारा 362 के तहत है जो किसी न्यायालय को किसी लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को सुधारने के अलावा किसी मामले के निपटान के अपने निर्णय या अंतिम आदेश को बदलने या समीक्षा करने से रोकता है, जो सी.आर.पी.सी. की धारा 482 पर भीलागू होता है। उच्चतम न्यायालय ने बार-बार माना है कि सी.आर.पी.सी. की धारा 362 के तहत समीक्षा की बाधा को खत्म करने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। **सिमरिखिया बनाम डॉली मुखर्जी, (1990) 2 एससीसी 437** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

"3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे सामने तर्क दिया कि सी.आर.पी.सी. की धारा 482 के तहत दूसरा आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसी आधार पर एक ही पक्ष द्वारा दूसरे आवेदन पर धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग वस्तुतः समीक्षा के समान है पहले का आदेश सी.आर.पी.सी. की धारा 362 की भावना के विपरीत है और उच्च न्यायालय ने, इसलिए, उस पाठ्यक्रम को अपनाकर कार्यवाही को रद्द करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की थी। हमें विद्वान अधिवक्ता के तर्क में काफी ताकत मिलती है। अंतर्निहित धारा 482 के तहत शक्ति का उद्देश्य न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना है। ऐसी शक्ति का प्रयोग कुछ ऐसा करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो संहिता के तहत स्पष्ट रूप से वर्जित है। यदि समीक्षा के माध्यम से तथ्यों पर कोई विचार किया जाता है संहिता के तहत अनुमति नहीं है और स्पष्ट रूप से वर्जित है, यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह मामले पर पुनर्विचार करने और विरोधाभासी निर्णय दर्ज करने की अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करे। यदि मामले की परिस्थितियों में कोई बदलाव हुआ है, तो यह उच्च न्यायालय के लिए मौजूदा परिस्थितियों में अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने और न्याय के अंत को सुरक्षित करने या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए होगा। जहां ऐसी कोई बदली हुई परिस्थिति नहीं है और निर्णय उन तथ्यों पर पहुंचा जाना है जो पहले के आदेश की तारीख के अनुसार मौजूद थे, अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसी सामग्री पर पुनर्विचार करने की शक्ति का प्रयोग वास्तव में एक समीक्षा है, जो कि धारा 362 के तहत स्पष्ट रूप से वर्जित है।

XXX

5. संहिता की धारा 362 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि कोई भी न्यायालय जब किसी मामले के निपटारे के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर देती है, तो संहिता द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए किसी लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को सुधारने के अलावा उसमें बदलाव या समीक्षा नहीं करेगी। धारा 482 उच्च न्यायालय को ऐसे आदेश देने में सक्षम बनाती है जो संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो। हालाँकि, अंतर्निहित शक्तियाँ उतनी ही सिद्धांत और मिसाल द्वारा नियंत्रित होती हैं जितनी कि इसकी व्यक्त शक्तियाँ क़ानून द्वारा। यदि कोई मामला कानून के स्पष्ट पत्र द्वारा कवर किया गया है, तो न्यायालय वैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है और इसके बजाय अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की आड़ में एक नया प्रावधान विकसित कर सकती है।

XXX

7. धारा 362 के तहत समीक्षा की बाधा को खत्म करने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सूरज देवी बनाम प्यारे लाल [(1981) 1 एससीसी 500: 1981 एससीसी (सीआरआई) 188] में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, कि

न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग संहिता द्वारा निषिद्ध विशेष रूप से ऐसा करने के लिए नहीं किया जा सकता है, इसलिए कानून स्पष्ट है कि अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग वह करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत रोक के कारण नहीं किया जा सकता है। अंतर्निहित शक्ति के कथित प्रयोग के तहत न्यायालय को अपने निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। हम पाते हैं कि इस मामले में आक्षेपित आदेश वास्तव में उसी सामग्री पर पुनर्विचार पर पहले के आदेश की समीक्षा कर रहा है। ऐसा करके उच्च न्यायालय ने गंभीर गलती की है। गुणागुण के आधार पर भी, हमें उस स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं मिला।"

11. सी.आर.पी.सी. की धारा 362 का उद्देश्य क्या यह है कि एक बार जब कोई न्यायालय किसी मामले का निपटारा करने के लिए कोई निर्णय या अंतिम आदेश देता है, तो वह निर्णय कार्यात्मक बन जाता है, और उस पर पुनर्विचार या संशोधन नहीं किया जा सकता है। न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग ऐसा कुछ करने के लिए नहीं किया जा सकता जो सी.आर.पी.सी. द्वारा विशेष रूप से निषिद्ध है। क्योंकि ऐसा करना विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून और उच्चतम न्यायालय के उदाहरणों का उल्लंघन होगा। इसके अलावा, धारा 482 सीआर.पी.सी. उच्च न्यायालय को कोई नई शक्तियाँ प्रदान नहीं करता; यह केवल उस अंतर्निहित शक्ति को बचाता है जो न्यायालय के पास संहिता के प्रारंभ होने से पहले थी।

12. इस न्यायालय की राय है कि यदि इस याचिका में की गई प्रार्थना के अनुरूप कोई आदेश पारित किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से समीक्षा के समान होगा जो सी.आर.पी.सी. की धारा 362 के तहत वर्जित है और इस न्यायालय द्वारा प्राप्त अंतर्निहित शक्तियों के तहत भी इसकी अनुमति नहीं है। सी.आर.पी.सी. की धारा 482 के तहत प्रावधान आपराधिक विविध में इस न्यायालय द्वारा पारित याचिका संख्या 1438/2017 दिनांक 08.08.2017 के अंतिम आदेश को रद्द करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय दिनांक 08.08.2017 के अंतिम आदेश पर अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठ सकता है और इसे रद्द नहीं कर सकता है जो केवल माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

13. इसलिए इन परिस्थितियों में, एक ही प्रार्थना के संबंध में लगातार याचिका कायम रखने योग्य नहीं है और वह खारिज किए जाने योग्य है।

14. दोनों अपराध विविध याचिकाएं खारिज की जाती हैं। स्टे आवेदन भी खारिज किए जाते हैं।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति

KuD/89-90

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।